रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एल०एम 14/91.

-Gaz_19910601

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 27 जून, 1991/6 आषाढ़, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 12 जून, 1991

सं० 9-4/73-एस० आई० (नियम)-4.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना सं० 9-4/73-एस० आई० (नियम) 4, दिनांक 27 मार्च, 1991 का क्रम जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में नियमों/अनुबन्धों में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

पहली पंक्ति में "अनुबन्ध-II" के स्थान पर "अनुबन्ध-III" पढ़ा जाए ।

1. नियम 11.1 बिक्री कर स्थगन स्कीम (क) पात्रता :—

2. अनुबन्ध-4 के ऊपरी शीर्ष "खण्ड-11(6)" के स्थान पर "खण्ड-11(4)" पढ़ा जाए ।

हर्ष गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव ।

INDUSTRIES DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 12th June, 1991

No. 9-4/73-SI (Rules)-IV.—In continuation of this Department notification No. 9-4/73-SI (Rules)-IV, dated 27th of March, 1991, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to issue the following clerifications to the Rules/Annexures for the grant of incentives to new industrial units in Himachal Pradesh :—

1. *Rules* 11.1 *Sales tax Deferment Scheme* (*a*) *Eligibility* :—In the first line "Annexure-II" **may be read** as "Annexure-III".
2. At the top of the Annexure-IV "clause 11(6)" **may be read** as "clause 11(4)".

HARSH GUPTA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 17*th June*, 1991

No. Ind-VI (F)12-8/77-II.—In partial modification of this Department notification of even number dated the 8th May, 1991, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the Head, Department of Silviculture and Agro-forestry, Dr. Y. S Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan as Member of the Monitoring Committee in place of Professor and Head of Department of Forestry of the said University.

Functions of the Monitoring Committee shall remain the same as notified *vide* notification dated 8-5-1991.

By order.
B. B. TANDON,
F. C.-cum-*Secretary*

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जून, 1991

संख्या पी0-सी0 एच0-एच0 ए0(4) 5/76-II.—यह कि पंचायत समिति गोहर, जिला मण्डी ने अपने साधनों को पुष्ट करने हेतु प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 12-10-1989 द्वारा अपने क्षेत्र में स्थान गोहर में हर वर्ष मास मार्च/जून एवं अगस्त में पशु मण्डियां लगाने एवं निम्नलिखित कर/शुल्क एवं दण्ड लगाने की प्रस्तावना की है :—

विक्रय राशि पर विक्रेता/क्रयकर्ता से 3 प्रतिशत की दर से कर वसूल करना एवं कर को न देने या कर की चोरी करने की दशा में अर्थदण्ड वसूल करना जो कि कर का 11 गुणा होगा ।

2. पशु मेला/मण्डी में दुकानदारों से 50 पैसे प्रति वर्गफुट प्रतिदिन की दर से तहबाजारी का वसूल करना ।

यह कि पंचायत समिति उपरोक्त एवं प्रस्तावना नोटिस द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 120 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त नियमावली, 1975 के नियम 36 के अन्तर्गत जन-साधारण की जानकारी एवं आपत्तियों हेतु प्रकाशित कर चुकी है और पंचायत समिति को इस प्रस्तावना के विरुद्ध कोई आपत्ति या इस हेतु कोई सुझाव प्राप्त न हुए हैं जैसा कि कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति गोहर ने अपने पत्र संख्या 586, दिनांक 3-2-1990 द्वारा सूचित किया है ;

यह कि उक्त प्रस्तावना की भली भान्ति जांच के पश्चात् सरकार आश्वस्त है कि इसे स्वीकार करना उचित एवं जनहित में है ।

अतः पूर्व इसके कि सरकार प्रस्तावना को स्वीकृत करे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के उपयोग में जो उनमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 120 जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, आय व्ययक, लेखा, अंकेक्षण, कराधान, सेवा और भत्ते नियमावली, 1975 के नियम 36 (5) के साथ पढ़ा जाए, सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि यदि इस प्रस्तावना में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह इस ज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में सचिव (पंचायत), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करें इस अवधि के पश्चात् इस विषय में कोई एतराज या सुझाव मान्य न होगा और सरकार प्रस्तावना को स्वीकृति दे देगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

नाहन, 14 जून, 1991

[हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत, जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये]

संख्या पी० सी० एन०-एस० एम० आर० (4)9/91-3172-76---जैसा कि पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड पांवटा द्वारा ग्राम पंचायत नवादा की जवाहर रोजगार योजनाओं का अंकेक्षण, जो 9-4-1991 को किया गया, से पाया गया कि श्री फते दीन, प्रधान, ग्राम पंचायत, नवादा, विकास खण्ड पांवटा निम्न अनियमितताओं तथा गबन सम्बन्धी आरोपों में संलिप्त पाए गए हैं:—

1. यह कि, ग्राम पंचायत नवादा को वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 18067/- रुपये व 1990-91 में 6425/-रुपये का अनुदान परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, जिला सिरमौर द्वारा चैकों द्वारा दिया गया । उक्त प्रधान बैंक से राशियां निकाल कर खर्च करते रहे और रोकड़-बही में आय-व्यय इन्द्राज नहीं किया और अनाधिकृत रूप से व्यय किए, जो धन राशी को अनियमित रूप से व्यय करने के दोषी पाए गए;
2. यह कि, उक्त प्रधान ने बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जवाहर रोजगार की राशि रु० 559 रु० 50 पसे के औजार खरीदे, जिनका इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में नहीं है तथा वे इस अनियमितता के दोषी पाए गए;

3. यह कि, उक्त प्रधान ने मु0 1678/- रुपये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मुरम्मत सड़क नवादा पर खर्च किए, जिनमें से 1120/-रुपये ट्रैक्टर द्वारा, बिना कोटेशन लिए व अन्य औपचारिकताएं पूरी किए, बजरी व पत्थर ढुलाई पर व्यय किए और अपने पुत्र श्री जहांगीर अली को निजी लाभ उठाने के उद्देश्य से 35 रुपये प्रति चक्कर के हिसाब से ठेका दिया। इस प्रकार निजी लाभ उठाने और अपने पद के दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए। इसी प्रकार निर्माण सड़क लालेवाली घाटी पर मु0 1050 रुपये 30 चक्कर, मैहरांवाली बस्ती सड़क निर्माण पर 2520 रुपये 72 चक्कर के व निर्माण बांबडी हरिजन बस्ती पर 105 रुपये 3 चक्कर 35 रुपये प्रति चक्कर के हिसाब से ट्रैक्टर द्वारा रेत/बजरी ढुलाई पर व्यय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रधान निजी लाभ उठाने और अपने पद का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए ;

4. यह कि, श्री फतेदीन प्रधान द्वारा बिना किसी पूर्व स्वीकृति व प्राक्कलन के पंचायत घर नवादा की बाऊंडरी वाल (दीवार) पर मु0 3504 रुपये 65 पैसे व्यय किए गये हैं। मु0 2518 रुपये का मस्ट्रोल मार्च 1990 का तैयार किया गया है, जिसमें 5 मजदूर लगाए गए। मजदूरी अदा करने के लिए रसीदी टिकट लगाकर सभी 5 मजदूरों से हस्ताक्षर लिए गए हैं। मजदूरी केवल एक मजदूर को 825 रुपये अदा की गई है। इस प्रकार उक्त प्रधान मु0 1693 की राशि का दुरुपयोग करने की चेष्टा करने के दोषी पाये गए ;

5. यह कि, उक्त प्रधान ने मु0 1616 रुपये 50 पैसे पंचायत घर नवादा के बिजली कार्य पर व्यय किए हैं जिसमें से मु0 1180 रुपये के दो पंखे बिना औपचारिकताएं पूरी किए खरीद किए हैं, जिनका इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में भी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप प्रधान अनियमितता करने के दोषी पाए गए हैं ;

6. यह कि, उक्त प्रधान ने ट्रैक्टर डाईवर श्री राम किशन को मु0 378 रुपये मजदूरी मुरम्मत सड़क नवादा मस्ट्रोल 9/89, निर्माण सड़क लालेवाली घाटी मस्ट्रोल 12/89, निर्माण सड़क मैहरांवाली बस्ती मस्ट्रोल 11/89 द्वारा अदा किए। इस प्रकार गल्त अदायगी करके राशि गबन के दोषी पाए गए ;

7. पंचायत द्वारा निम्नलिखित योजनाओं हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई:—

(1) लालेवाली घाटी सड़क निर्माण	1770 रुपये
(2) निर्माण सड़क मैहरांवाली बस्ती	4554 रुपये
(3) बाऊंडरी वाल पंचायत घर	3504.65 रुपये
(4) लिंक रोड प्राईमरी स्कूल नवादा	1480 रुपये
(5) मुरम्मत बावडी हरिजन बस्ती	2728 रुपये

इन योजनाओं का न ही कोई प्राक्कलन है एवं न ही मूल्यांकन वगैरा करवाया गया। इस प्रकार अधिनियम व वित्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने के श्री फतेदीन प्रधान, दोषी पाये गए हैं ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री फतेदीन प्रधान, ग्राम पंचायत, नवादा, ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान पद पर बने रहना जनहित में नहीं है ;

अतः मैं, अजय त्यागी, उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत, जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं, श्री फतेदीन, प्रधान, ग्राम पंचायत नवादा, विकास खण्ड पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाया जाए? उनका उत्तर 1-7-1991 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा, कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

अजय त्यागी,
उपायुक्त, जिला सिरमौर,
नाहन।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।